Dr.Uttam Kumar
SRAP College,Barachakia
Mob no-8210561032

Faculty -Commerce
Subject -Business Organisation
Class -2nd Semester
Session-2023-27

8

संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी
[JOINT STOCK COMPANY]

प्रारम्भिक (Introduction)

भारत में कम्पनी का उद्‌गम कम्पनी अधिनियम, 1850 के साथ ही हुआ। इस अधिनियम में समय-समय पर संशोधन होते रहे। सन् 1936 में संशोधित कम्पनी अधिनियम पारित किया गया। तदुपरान्त 1 अप्रैल, 1956 से नवीन कम्पनी अधिनियम लागू हुआ। इस कम्पनी अधिनियम में भी समय-समय पर संशोधन होते रहे है। सन् 1988 में महत्वपूर्ण संशोधन हुए। इसके पश्चात् भी कम्पनी अधिनियम में अनेकों बार संशोधन हुए हैं। वर्तमान में कम्पनी अधिनियम, 2013 कार्यरत है।

संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी का अर्थ
(MEANING OF A JOINT STOCK COMPANY)

संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी लाभ के लिए बनाई गयी एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी पूँजी हस्तान्तरित अंशों में अविभाजित होती है अर्थात् इसके अंश साधारणतया खरीदे तथा बेचे जा सकते हैं, सदस्यों का उत्तरदायित्व साधारणतया सीमित होता है, इसका अस्तित्व स्थायी होता है एवं विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका व्यवसाय एक सार्वमुद्रा (Common Seal) द्वारा शासित होता है। कोई व्यक्ति कम्पनी के ऊपर तथा कम्पनी भी व्यक्ति के ऊपर अभियोग चला सकती है।

संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी की परिभाषाएँ
(DEFINITIONS OF A JOINT STOCK COMPANY)

व्यावसायिक स्वामित्व के अन्य प्रारूपों की भाँति (अर्थात् एकाकी व्यापारी एवं साझेदारी की भाँति) संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी की भी विभिन्न परिभाषाएँ दी गई हैं। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से हम इन परिभाषाओं को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं—(I) प्रसिद्ध न्यायाधीशों द्वारा दी गई परिभाषाएँ; (II) प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएँ तथा (III) भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा दी गई परिभाषाएँ।

(I) प्रसिद्ध न्यायाधीशों द्वारा दी गई परिभाषाएँ

(1) **न्यायाधीश जेम्स** के अनुसार, "एक कम्पनी विभिन्न व्यक्तियों का एक समूह है जिसका संगठन किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है।"[1] [यह परिभाषा अपूर्ण है।]

(2) **लॉर्ड लिण्डले** के अनुसार, "कम्पनी व्यक्तियों का समूह है जो द्रव्य या द्रव्य के बराबर का अंशदान एक संयुक्त कोष में जमा करते हैं और इसका प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं।"[2] [यह परिभाषा अधूरी है।]

(II) प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएँ

(1) **डॉ. विलियम आर. स्प्रीगल** (Dr. William R. Spriegal) के अनुसार, "निगम राज्य की एक रचना है जिसका अस्तित्व उन व्यक्तियों से पृथक् होता है जोकि उसके अंशों अथवा अन्य प्रतिभूतियों के स्वामी होते हैं।"[3] [निगम का आशय कम्पनी से है। यह परिभाषा अधूरी एवं अपर्याप्त कही जा सकती है।]

---

1 "A company is an association of persons united for a common object.' —*Justice James*

2 "It is an association of persons who contribute money or money's worth to a common stock and employ it for some common purpose." —*Lord Lindley*

[illegible] of the state and possess an entity distinct from the persons owning its stocks or other securities."